उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–82/2022–23

सरकार

बनाम्

मो0 सरफराज आलम

–: आदेश :–

दिनांक 14/2/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा नगर थाना काण्ड संख्या–211/2022 दिनांक–18.08.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–4814/अप0शा0 दिनांक–11.11.2022 से धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 के मालिक मो0 सरफराज आलम, पे0–मो0 जमालुद्दीन, सा0–कोयला, थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा, वर्तमान पता–करनाजोरा, रानीगंज, जिला–उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 एवं उस पर लदे बालू के विरूद्ध

धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी मो0 सरफराज आलम का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 के मालिक है। विपक्षी के जप्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन नहीं किया जा रहा था। बल्कि उक्त बालू का क्रय ई–चालान के द्वारा, जिसका चालान नं0–891081/S/2022-23 के द्वारा क्रय किया गया था। इसलिए बालू चोरी का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने जप्त वाहन को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के चालान का जाँच जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के पत्रांक–146/एम0 दिनांक–06.02.2023 के द्वारा प्राप्त हुआ है। ई–चालान के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि ई–चालान सही प्रतीत नहीं होता है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। गोड्डा नगर थाना काण्ड संख्या–211/2022 दिनांक–18.08.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर गोड्डा मुफस्सिल थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तो के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा में दर्शाये गये ई–चालान का जाँच कराया गया, जो सही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी कर

परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य की राशि 16000.00(सोलह हजार)रू0 का दोगुनी राशि 32000.00 (बत्तीस हजार) रू0 तथा अतिरिक्त दण्ड की राशि 50000.00(पचास हजार) रू0 कुल 82000.00 (बेरासी हजार) रू0 जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर वाहन निबंधन सं0–WB57B-6308 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.15 11:29:12 +05:30
Location: 172.29.18.1

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।